

प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

सेवामें,

समाप्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-जीओ-77/सम्पेक्षा/महा0मा0स0आ0/2011-12

दिनांक 27 जुलाई-2011

विषय: वित्तीय वर्ष 2011-12 में महामाया सर्वजन आवास योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-1200/38-4-11-13बजट/2010, दिनांक 13-07-2011 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें, जिसके द्वारा महामाया सर्वजन आवास योजना के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिये अनुदान संख्या-13 में रु0 250000000/- (रूपये पचीस करोड़ मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के निस्तारण पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त धनराशि संलग्नक के सम्मुख कालम-3 में दर्शाये गये विवरण के अनुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही है :-

1- आवंटित की जा रही इस धनराशि का परिव्यय उपलब्ध है। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।

2- आवंटित की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुवल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, तो ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् ही किया जायेगा।

3- समाप्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु वित्त मैनुवल में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये।

4- आवंटन आदेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात मुख्य / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही समर्पित किया जायेगा।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-"2515-अन्य ग्राम विकास-कार्यकम-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-महामाया सर्वजन आवास योजना-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

2

-2-

6- आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना, बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित विलम्बतम प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7- उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर आयोजनगत के पृष्ठ-185 पर कर ली गयी है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
20/7/11
(संजीव कुमार)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ०प्र०।

पत्रांक:-जीओ-77 / सम्प्रेक्षा / महा०मा०स०आ० / 2011-12 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ०प्र०।
- 3- सचिव, डा०अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ०प्र०शासन।
- 4- सम्बन्धित मंडलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला विकास अधिकारी, उ०प्र०।
- 5- सम्बन्धित परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ०प्र०।
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/
राज्य योजना आयोग-2 नियोजन अनुभाग-4
- 7- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
- 8- विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, ग्राम्य विकास अनुभाग-4 को उनके पत्रांक-1200/
38-4-11-13-बजट/2010, दिनांक 13-07-2010 के क्रम में।


(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उ०प्र०

(3)

पत्र संख्या-जीओ-77/सम्प्रेक्षा/म0मा10सा0यो0/2011-12, दिनांक 27 जुलाई 2011 का संलग्नक

महामाया सर्वजन आवास योजनान्तर्गत धनराशि का आवंटन
(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	MEERUT	0.00	0
2	GHAZIABAD	0.00	0.00
3	BULANDSHAHAR	31.50	31.50
4	G.B. NAGAR*	0.00	0.00
5	BAGPAT	0.90	0.90
6	SAHARANPUR	54.90	54.90
7	MUZAFARNAGAR	0.00	0.00
8	MORADABAD	0.00	0.00
9	BIJNOR	0.00	0.00
10	RAMPUR	0.00	0.00
11	J.B.F. NAGAR	0.00	0.00
12	BAREILLY	51.56	51.56
13	BADAUN	26.80	73.80
14	SHAHJAHANPUR	190.35	529.35
15	PILIBHIT	67.05	67.05
16	AGRA	0.00	0.00
17	MAINPURI*	37.40	104.40
18	MATHURA	0.00	149.00
19	FIROZABAD	0.00	0.00
20	ALIGARH	0.00	0.00
21	ETAH	0.00	48.00
22	KANSHIRAM NAGAR	0.00	13.00
23	HATHRAS	0.00	60.00
24	JHANSI	5.00	18.00
25	JALAUN	0.00	44.00
26	LALITPUR	66.60	66.60
27	BANDA	168.00	398.00
28	HAMIRPUR	0.00	130.00
29	MAHOBA	0.00	0.00
30	CHITRAKUT	0.00	0.00
31	ALLAHABAD	0.00	176.00
32	FATEHPUR	0.00	29.00
33	PRATAPGARH	0.00	29.00
34	KAUSHAMBHI	94.50	307.50
35	KANPUR NAGAR	0.00	99.00
36	KANPUR DEHAT	0.00	146.00
37	ETAWAH	0.00	85.00
38	FARRUKHABAD	0.00	12.00
39	KANNAUJ	0.00	93.00
40	ORRAIYA	7.20	7.20



(9)

पत्र संख्या-जीओ-77/सम्प्रेक्षा/म0मा0सा0यो0/2011-12, दिनांक 27 जुलाई 2011 का संलग्नक

महामाया सर्वजन आवास योजनान्तर्गत धनराशि का आवंटन
(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
41	VARANASI	0.00	0.00
42	GHAZIPUR	0.00	179.00
43	JAUNPUR	0.00	0.00
44	CHANDAULI	146.00	405.00
45	WIRZAPUR	0.00	271.00
46	SONBHADRA	136.65	484.65
47	S. R. NAGAR	0.00	0.00
48	LUCKNOW	292.06	436.06
49	SITAPUR	170.50	472.50
50	UNNAO	90.15	537.15
51	HARDOI	77.40	77.40
52	KHERI	169.65	169.65
53	RAE BARELI	27.90	27.90
54	GORAKHPUR	0.00	0.00
55	DEORIA	270.43	270.43
56	KUSHINAGAR	22.95	22.95
57	MAHRAJGANJ	0.00	0.00
58	BASTI	10.35	10.35
59	SIDHARTHANAGAR	81.00	225.00
60	S.K.NAGAR	0.00	82.00
61	AZAMGARH	0.00	0.00
62	MAU	0.00	0.00
63	BALLIA	0.00	140.00
64	FAIZABAD	0.00	183.00
65	BARABANKI	0.00	201.00
66	SULTANPUR	0.00	0.00
67	AMBEDKARNAGAR	160.65	160.65
68	GONDA	41.20	115.20
69	BAHRAICH	0.00	0.00
70	BALRAMPUR	1.35	1.35
71	SHRAWASTI	0.00	204.00
72	CSM Nagar	0.00	0.00
	STATE TOTAL	2500.00	7500.00

(रु० पचीस करोड़ मात्र)

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा),
ग्राम्य विकास, उ० प्र०।
९


5

प्रेषक,

रुद्र प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0प्र0, लखनऊ



अधर आयुक्त (लेखा)

ग्राम्य विकास अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक- 13 जुलाई, 2011

विषय:- महामाया सर्वजन आवास योजनान्तर्गत वर्ष-2011-12 के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-715/सम्प्रेक्षा/2011-12, दिनांक-17-6-2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामाया सर्वजन आवास के कार्यान्वय हेतु प्राविधानित धनराशि रु0-100.00 करोड़ में से वित्तीय वर्ष-2011-2012 के लिए अनुदान संख्या-13 में शासनादेश संख्या-679/38-4-11-13 बजट/10, दिनांक-07 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रथम छः माह हेतु रु0-50.00 करोड़ (रुपये पचास करोड़ मात्र की धनराशि स्वीकृति दी गई है। उक्त प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से रु0-25.00 करोड़ (रुपये पच्चीस करोड़ मात्र) आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- 1- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का परिव्यय उपलब्ध है। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।
- 3- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।
- 4- समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु वित्त मैनुअल में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय तथा किसी भी परिस्थितियों में इसे बैंक आदि में नहीं रखा जायेगा।
- 5- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा।

18.7.2011
(संजीव कुमार)
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उ0
राम शर्मा

6- तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखा शीर्षक- 2515-अन्य ग्राम्य विकास-कार्यक्रम-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-महामाया सर्वजन अवास योजना-27-सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि समय से धनराशि का उपयोग को सकें।

2- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय पत्र संख्या-ई-2-467/दस-2011, दिनांक-12 जुलाई, 2011 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

A.S.

(रुद्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-1200(1)/38-4-11 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. संबंधित जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. सचिव, डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
10. राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
11. ग्राम्य विकास अनुभाग-3
12. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(रुद्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

(7)

ख्या-1200 / 38-4-11-13 बजट / 10

प्रेषक,

रुद्र प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ०प्र०, लखनऊ

ग्राम्य विकास अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक- 13 जुलाई, 2011

विषय:- महामाया सर्वजन आवास योजनान्तर्गत वर्ष-2011-12 के लिए वित्तीय स्वीकृति।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-715/सम्प्रेक्षा/2011-12, दिनांक-17-6-2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामाया सर्वजन आवास के कार्यान्वय हेतु प्राविधानित धनराशि रू०-100.00 करोड़ में से वित्तीय वर्ष-2011-2012 के लिए अनुदान संख्या-13 में शासनादेश संख्या-679/38-4-11-13 बजट/10, दिनांक-07 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रथम छः माह हेतु रू०-50.00 करोड़ (रूपये पचास करोड़ मात्र की धनराशि स्वीकृति दी गई है। उक्त प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से रू०-25.00 करोड़ (रूपये पच्चीस करोड़ मात्र) आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का परिव्यय उपलब्ध है। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।

3- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

4- समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु वित्त मैनुअल में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय तथा किसी भी परिस्थितियों में इसे बैंक आदि में नहीं रखा जायेगा।

5- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा।

2/-

6- तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखा शीर्षक- 2515-अन्य ग्राम्य विकास-कार्यक्रम-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-महामाया सर्वजन अवास योजना-27-सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि समय से धनराशि का उपयोग को सकें।

2- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय पत्र संख्या-ई-2-467/दस-2011, दिनांक-12 जुलाई, 2011 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(रुद्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-1200(1)/38-4-11 तददिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. संबंधित जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. सचिव, डायो अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
10. राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
11. ग्राम्य विकास अनुभाग-3
12. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(रुद्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।